राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 60/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/67
दायर दिनांक— 14.06.2022
निर्णय दिनांक— 15.12.2023

1. कालू पुत्र सुखा
2. मोहनराम पुत्र नोरत
3. राजूडी पत्नि नोरत
4. रतना पुत्र सुन्डा
5. हरदीन पुत्र सुन्डा

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासीगण ग्राम करकेड़ी तह0 रूपनगढ. जिला अजमेर

......प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पुत्री उगमा
2. गेखा देवी पत्नि उगमा
3. चन्दाराम पुत्र तुलछा
4. ताराचन्द पुत्र रामेश्वर
5. दिनदयाल पुत्र उगमा
6. नन्दा पुत्र मांगू
7. नाथी देवी पुत्री रामेश्वर
8. बिंजी पत्नि रामेश्वर
9. भागचन्द पुत्र गिरधारी
10. मदन पुत्र भैरू
11. मनभर देवी पुत्री रामेश्वर
12. मूलचन्द पुत्र उगमा
13. मोहन लाल पुत्र रामेश्वर
14. मोहनी देवी पत्नि गिरधारी
15. नाबा0 रूपचन्द पुत्र कालू संरक्षक माता सुगनी
16. रामनिवास पुत्र गिरधारी
17. सुगनी पत्नि कालू
18. नाबा0 हनुमान पुत्र कालू संरक्षक माता सुगनी देवी
19. हरजीराम पुत्र गिरधारी

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासीगण ग्राम करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
21. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री कांतिलाल जैन अधि0 अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य, इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की संयुक्त कब्जे, काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी, भू—अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 304 में ख0न0 288 रकबा 20.9612 हे0 भूमि अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है तथा उसी अनुसार काश्तकार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी 15.12.23
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के मध्य उक्त संयुक्त भूमि का मय नीवं, सींव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन नहीं हो रखा है। इस कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के मध्य विवाद होाता रहता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को आपसी सहमति अनुसार वाद वर्णित भूमि विभाजन करवाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने इनकार कर दिया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे उनके हिस्से की आराजी का बिना बंटवारा किये ही अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर देंगे, इसलिए न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी के कथन अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 204,205,206,288 ग्राम करकेड़ी में स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की वाद वर्णित भूमि का विधि अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया हुआ नही है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 21 ख0न0 204, 205, 206, 288 की अविभाजित भूमि के विक्रय पत्र या अन्य कोई अन्तरण किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पंजीयन नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवयश्क है। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ (अप्रार्थी संख्या 20) ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 288 की भूमि में प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की अन्य संयुक्त कृषि भूमि ख0न0 204, 205, 206 को जोड़े जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम करकेड़ी के ख0न0 288, 204, 205 व 206 की उक्त भूमि का किसी प्रकार का अन्तरण, बैचान इत्यादि नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

15.12.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:08:43 IST
Reason: SelfAttested